सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के ठेकेदार पर 10 लाख का जुर्माना

करोहन-नईखेड़ी मार्ग में कमी पर उपयंत्री का 10 दिन का वेतन काटने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैनः संभागायुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर लोक निर्माण, ब्रिज, सेतु निगम एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने बारिश के बाद भूमि अधिग्रहण एवं अन्य कारणों से लंबित स्वीकृत सड़क कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।

सेवरखेड़ी–सिलारखेड़ी परियोजना के थर्ड पार्टी निरीक्षण में मिली कमियों पर संभागायुक्त ने संबंधित ठेकेदार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को कमियां तत्काल दूर कराने के लिए कहा। विभाग के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

करोहन से नईखेड़ी मार्ग निर्माण में कमी पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ विंग के संबंधित उपयंत्री का 10 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि मकोडिया आम से हरिफाटक तक एलिवेटेड कॉरिडोर में अब तक 23 पाइल का काम पूरा हो चुका है। इंदौर गेट से निकास चौराहे तक एक साइड क्लियर कर जल्द काम शुरू किया जाएगा। कालभैरव मंदिर से भैरवगढ़ जेल, सिद्धवट तथा सिद्धवट से अंगारेश्वर मंदिर के एप्रोच रोड का काम भी शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए।

नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को समन्वय कर सिंहस्थ क्षेत्र की आंतरिक सड़कों के लिए सीवर एवं पाइपलाइन की मार्किंग करने को कहा गया। महामृत्युंजय द्वार से नानाखेड़ा चौराहे तक सड़क का सिविल वर्क पूरा हो चुका है और अक्टूबर में विद्युत कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

कलेक्टर ने कैथन डैम स्थित विसर्जन कुंड की व्यवस्थाओं का किया अवलोकन, विसर्जन आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशाः कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने आज सिरोंज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान अनंत चतुर्दशी पर्व पर श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को ध्यानगत रखते हुए कैथन डैम पर बनाए गए विसर्जन कुंड की व्यवस्थाओं का मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने विसर्जन कुंड का निरीक्षण करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विसर्जन कुंड के समीप सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, ताकि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा अथवा अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

मौके पर मौजूद एसडीएम एवं एसडीओ को कलेक्टर ने विसर्जन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी करने तथा सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी एवं सुव्यवस्थित ढंग से बनाए रखने के निर्देश दिए।

जान से मारने की नीयत से मारपीट के मामले में छह आरोपी गिरफ्तार

थाना प्रभारी पारते के नेतृत्व में पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त की

नईदुनिया प्रतिनिधि, बरेली-सिलवानीः साईंखेड़ा निवासी अमन राय के साथ 6 सितंबर को हुई मारपीट के गंभीर मामले में सिलवानी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संजीत पारते के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सामग्री और काले रंग की स्कॉर्पियो कार जब्त की है।

पुलिस के अनुसार अमन राय के साथ आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से मारपीट की थी। घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर प्राणघातक चोटें सामने आने के बाद प्रकरण में धारा 109(1) बीएनएस का इजाफा किया गया।

विशेष टीम ने लगातार की तलाशः मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी संजीत पारते ने विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए। पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर दबिश देते हुए घटना में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

ये आरोपी हुए गिरफ्तारः गिरफ्तार आरोपियों में प्रेमनारायण उर्फ गौरव तिवारी पिता गोविंद प्रसाद तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी साईंखेड़ा, योगेश मालवीय पिता हरिशंकर मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी मूडापार थाना बम्होरी, जतिन लोधी पिता नीरज लोधी उम्र 21 वर्ष निवासी कीरतपुर थाना सिलवानी, हर्षित कलोसिया पिता कमल कलोसिया उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 4 सिलवानी, दिनेश ठाकुर पिता अजमेर सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी चंद्रपुरा गढ़ेली तथा प्रत्यूष डागौर पिता दीपक डागौर उम्र 18 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 2 सिलवानी शामिल है।

पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। ।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ओल्ड सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में फ्लैट/भवन क्रमांक जूनियर एम. आई. जी. 76 (भू-तल) मण्डल द्वारा Trend Nurses Assocication of India (M.P.) द्वारा डॉ. एस. शांशकन के नाम पर हस्तान्तरण आदेश क. 1431-34 दिनांक 15/2/2001 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 18/08/2000 को उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत है। Trend Nurses Association of India (M.P.) द्वारा श्रीमती जया बिजियो एवं डॉ. रमा तनेजा द्वारा भवन का विक्रय विलेख दिनांक 25/03/2023 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी आत्मज श्री जे.एस. सोलंकी को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं कराई गई। अब संपत्ति के क्रेता श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 25/03/2023 के आधार पर उक्त संपत्ति अपने नाम हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उनके द्वारा यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि भवन के मूल आवंटी Trend Nurses Association of India (M.P.) द्वारा श्रीमती जया बिजियो एवं डॉ. रमा तनेजा एवं उनके संस्था का वर्तमान में कही पता नहीं चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगें। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विक्रय विलेख दिनांक 25/03/2023 के आधार पर उक्त संपत्ति श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी आत्मज श्री जे.एस. सोलंकी के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी सस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1766

जाहिर सूचना
(दिनांक 08/07/1971 क विभाजन पत्र गुम होने के संबंध में)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पक्षकार सैयद आहसीन अली आत्मज श्री सैयद मोहसीन अली निवासी टी 5 सिटी सैन्टर अपार्टमेंट सुलतानिया रोड भोपाल (म.प्र.) स्वत्व स्वामित्व का एक किता आवासीय मकान 51 चार मंजिला पक्का लगभग 65-70 वर्ष पुराना बना हुआ स्थित घोडा नक्कास रोड भोपाल जो भोपाल नगर निगम सीमाओं के अन्दर वार्ड नम्बर 20 में है। जिसकी चतुर्थ सीमाये निम्नानुसार है- पूर्वः रोड, पश्चिमः मकान स्व. श्री जगदीश चन्द जी गोयल जिनके पुत्र श्री अजय गोयल उनके परिवार के साथ उसमें निवास करते है उत्तरः अनय की सम्पति, दक्षिणः गली में स्थित है। उक्त मकान के तले की भूमि का कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफिट अर्थात 83-64 वर्गमीटर है जिसमे 61-34 वर्गमीटर आवासीय भाग व्यवसायिक मकानियत बनी है शेष 6-04 वर्गमीटर का खुला भाग ळे मकान के प्रथम तल पर 77-60 वर्गमीटर की आवासीय मकानियत बनी हुई। जो कि सैयद आहसीन अली आत्मज श्री सैयद मोहसीन अली निवासी टी- सिटी सैन्टर अपार्टमेंट सुलतानिया रोड भोपाल (म.प्र.) दिनांक 08.07.1971 ग्रन्थ नं. 1093 दस्तावेज नं. 1884 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय, भोपाल में पंजीकृत हुआ था। जो कि मेरे पास से कही गुम हो गई है। ताकिद जानिये की यदि किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा उक्त मूल विभाजन पत्र का दुरूपयोग किया जाता है, अपराधिक आशय से उसका दुरविनियोग करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सूचना दाता के पास सुरक्षित रहेगा। यदि उपरोक्त वर्णित संपत्ति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय का अनुबंध, स्वत्व, अधिपत्य, हित, ऋण, बंधक, भार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन के 07दिवस की अवधि के अंदर मुझसे, मेरे कार्यालय में संपर्क स्थापित करें एवं आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त समयावधि के बाद आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

राजेन्द्र सिंह राजपूत, (अधिवक्ता)
308 बी डी ए काम्प्लेक्स, शिवाजी नगर भोपाल

1767

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल-462003
फोन : +91-755-4027100, 2774340/42, www.mpstdc.com
क्रमांक 455/यांत्रिकी/पविनि/26 दिनांक : 24.09.2026

निविदा सूचना

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है।

क्र.	नि.सू. क्र./सिस्टम आई.डी./कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि रु. लाख में
1.	333/2026_STDC_538600_1/ जिला राजगढ़ स्थित Govt. HS भंडावाद जीरापुर ब्लॉक (UDISE code 23300603006) में 01 अतिरिक्त क्लास रूम, 02 लैब, बाउंड्री, गेट, टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण एवं रिनोवेशन का कार्य आंतरिक विद्युतीकरण सहित (द्वितीय आमंत्रण)। कार्यपूर्णता का समय 10 माह	110.26
2.	334/2026_STDC_538602_1/ जिला विदिशा स्थित Govt. HS अलीगढ़ कोटरा (UDISE code 23310401504) में 03 अतिरिक्त क्लास रूम, बाउंड्री, बोरबेल, टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण एवं रिनोवेशन का कार्य आंतरिक विद्युतीकरण सहित (द्वितीय आमंत्रण) कार्यपूर्णता का समय 08 माह	99.40
3.	335/2026_STDC_538603_1/जिला विदिशा स्थित स्थित Govt. HSS रसूली साहू लटेरी (UDISE code 23310401504) में 02 अतिरिक्त क्लास रूम, बाउंड्री, बोरबेल, टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण एवं रिनोवेशन का कार्य आंतरिक विद्युतीकरण सहित (द्वितीय आमंत्रण) कार्यपूर्णता का समय 08 माह	81.67
4.	336/2026_STDC_538604_1/ जंगल रिसोर्ट उदयगिरि जिला विदिशा में डेक एरिया, प्रवेश द्वार एवं प्रवेश रोड के रिनोवशन एवं उन्नयन के कार्य। कार्यपूर्णता का समय 03 माह	60.87

वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्युमेंट) वेबसाइट के माध्यम से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 12.10.2026 समय सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित है। कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर दिनांक 28.09.2026 से देखा जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/128232/2026 **कार्यपालन यंत्री**

आबकारी अमले ने अवैध शराब के 656 प्रकरण किए दर्ज

रायसेन। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, संग्रहण, निर्माण और परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग ने 1 अप्रैल से 23 सितंबर तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत 656 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें धारा 34(2) के तहत पांच प्रकरण शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान विभाग ने 815.4 बल्क लीटर देशी मदिरा, 207.51 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 49.6 बल्क लीटर बीयर, 2532.5 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 85,140 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया। जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 89 लाख 62 हजार 747 रुपये बताया गया है। आबकारी विभाग ने नागरिकों से अवैध या संदिग्ध मदिरा का सेवन नहीं करने की अपील की है। साथ ही अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण या विक्रय की जानकारी मिलने पर विभाग को सूचना देने का आग्रह किया गया है।

गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सुरक्षा एवं सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर बालागुरू के एवं पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना ने सीहोर स्थित विसर्जन घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर बालागुरू के ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विसर्जन स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। घाट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, स्वच्छता, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें तथा व्यवस्थित तरीके से प्रतिमा विसर्जन किया जाये।

कलेक्टर एवं एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विसर्जन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। घाट पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसके लिये सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे, एसडीएम तन्मय वर्मा, नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर बालागुरू के ने जिले के सभी एसडीएम, एसडीओपी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए निर्धारित घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करें। विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा, प्रकाश, स्वच्छता, पेयजल, बैरिकेडिंग तथा यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल एवं आवश्यक अमला तैनात रहे तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहें। नदी एवं जलाशयों के गहरे स्थानों पर विशेष निगरानी रखते हुए सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

कलेक्टर ने गणेश विसर्जन स्थल का किया निरीक्षण

गंजबासौदा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए निर्धारित बेतवा नदी स्थित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अनुभा जैन, एसडीओपी शिखा भलावी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी प्रदीप जाखड़, सीएमओ अशोक वर्मा सहित संबंधित मैदानी अमला मौजूद रहा। कलेक्टर ने विसर्जन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ऐशबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन क्रमांक जूनियर एम.आई.जी. (डुप्लेक्स) 183 मण्डल द्वारा श्री अरूण कुमार जैन आत्मज श्री हुकुम चंद जैन के नाम भाड़ाक्रय खरीद करार के आधार पर हस्तान्तरण आदेश क. 1809-13 दिनांक 20/05/2002 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 24/05/2006 को उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्रीमती ताहिरा खान पत्नी श्री मोहम्मद हारून खान के नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 25/01/2022 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती ताहिरा खान पत्नी श्री मोहम्मद हारून खान के नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1765

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ओल्ड सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में फ्लैट/भवन क्रमांक जूनियर एम.आई.जी. 77 (भू-तल) मण्डल द्वारा श्री जैकेब मैथ्यू आत्मज श्री मथाई मैथ्यू के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 19/01/2002 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री जैकेब मैथ्यू आत्मज श्री मथाई मैथ्यू द्वारा भवन का विक्रय विलेख दिनांक 29/03/2006 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी आत्मज श्री जे.एस. सोलंकी को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नही कराई गई। अब संपत्ति के क्रेता श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी आत्मज श्री जे.एस. सोलंकी द्वारा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 29/03/2006 के आधार पर उक्त संपत्ति अपने नाम हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उनके द्वारा यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि भवन के मूल आवंटी श्री जैकेब मैथ्यू आत्मज श्री मथाई मैथ्यू एवं उनके परिवार का वर्तमान में कहीं पता नहीं चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगी। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विक्रय विलेख दिनांक 29/03/2006 के आधार पर उक्त संपत्ति श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी आत्मज श्री जे.एस. सोलंकी के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उतराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1764

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.)

apmcraisen2017@gmail.com
krishimandiraisen@rediffmail.com
क्रमांक/मण्डी/निर्माण/2026-27/637 रायसेन, दिनांक 22.09.2026

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति रायसेन की उपमण्डी सलामतपुर के प्रांगण में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत 30 मै.टन क्षमता (10 मै.टन क्षमता की अतिरिक्त प्लेट सहित) के तौलकांटा की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_538131_1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें दिनांक 28.09.2026 को समय प्रातः 11:30 बजे से दिनांक 13.10.2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
रायसेन, जिला रायसेन

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
रायसेन, जिला रायसेन

म.प्र. माध्यम/128225/2026

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आष्टा, जिला-सीहोर (म.प्र.)

क्र./मंडी/निर्माण/2026-27/898 आष्टा, दिनांक 23.09.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति, आष्टा, जिला सीहोर के नवीन प्रांगण में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत 60 मै.टन क्षमता के एवं 10 मै.टन क्षमता की अतिरिक्त प्लेट सहित संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_538336_1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें दिनांक 28.09.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 21.10.2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
आष्टा, जिला- सीहोर

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
आष्टा, जिला- सीहोर

म.प्र. माध्यम/128224/2026

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शंकर प्रसाद पटेल आत्मज श्री तिलकधारी पटेल, निवासी-ग्राम-घोपारी, पोस्ट - सुपेला, तहसील-सिहावल, जिला-सीधी (म.प्र.) मेरी पुत्री के. आधार कार्ड में नाम कु. अर्चिता पुत्री श्री शंकर प्रसाद पटेल आयु लगभग 16 वर्ष, निवासी-ग्राम-घोपारी, पोस्ट-सुपेला,तहसील-सिहावल, जिला-सीधी (म.प्र.) लिखा गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम जन्म प्रमाण पत्र और अंकसूची में मेरी पुत्री का सही नाम अर्चिता पटेल (ARCHITA PATEL) पुत्री श्री शंकर प्रसाद पटेल, निवासी-ग्राम-घोपारी, पोस्ट-सुपेला, तहसील-सिहावल, जिला-सीधी (म.प्र.) है। अब मेरी पुत्री का नाम विभिन्न प्रपत्रों में उपरोक्त अनुसार लिखा व पढा जावे।

शंकर प्रसाद पटेल आत्मज श्री तिलकधारी पटेल, निवासी-ग्राम-घोपारी, पोस्ट- सुपेला, तहसील-सिहावल, जिला-सीधी (म.प्र.)

1760

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन म.प्र.

Presiding Officer: प्रदीप कुमार परिहार
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/0000044/2025)
शिशिर शर्मा......**वादी**......**Vs**...मधु शर्मा व अन्य.......**प्रतिवादगण**

Talwana
Id-1289/2026
Process Id-488/2026
पेशी दिनांक :15/10/2026

प्रेषिती-(1) आभा शर्मा पुत्री स्वर्गीय हेमंत शर्मा पता-51-ए बसंत कुंज, प्रतिमा गार्डन के पास, अयोध्या बायपास रोड भोपाल, जिला भोपाल म.प्र. यह कि प्रार्थी शिशिर शर्मा ने आपके विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 15 September 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
कृपया ध्यान दें:-यदि किसी कारणवश-उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

प्रदीप कुमार परिहार, न्यायाधीश
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
गौहरगंज जिला रायसेन (म.प्र.)

1759

प्रकाशनार्थ
कार्यालय : न्यायालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजीयन क्रमांक / डी.आर.बी. / 62, दिनांक 04.04.1977)
क्रमांक/निर्वा./2026/02
दिनांकः 24.09.2026

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत निर्वाचन आमसभा दिनांक 10.10.2026, दिन शनिवार को दोपहर 12.00 बजे से स्थान संस्था कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्राउण्ड फ्लोर अरेरा हिल्स, जिला-भोपाल (म.प्र.) पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 01/10/2026 को प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेंगे दिनांक 03/10/2026 को दोपहर 12 से नियोजन पत्रों की जांच की जावेगी, दिनांक 04/10/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम स्थान- संस्था कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्राउण्ड फ्लोर अरेरा हिल्स, जिला-भोपाल (म.प्र.) पर सम्पन्न होंगे, तत्पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जावेगा। आमसभा की सूचना के साथ निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को पृथक से स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा भेजी गई है।

अध्यक्ष
न्यायालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

1758

प्रकाशनार्थ
कार्यालय सरला पैराडाईज रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजी. क्र./डी.आर.बी.-1428, दिनांक 09.12.2019)
क्रमांक/निर्वा./2026/क्यू
भोपाल, दिनांकः 24.09.2026

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत् विशेष साधारण सम्मेलन दिनांक 10.10.2026 को प्रातः 10.30 बजे से स्थानः संस्था कार्यालय, सरला पैराडाईज कॉलोनी, अवधपुरी, भोपाल पर आयोजित की गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती ईशा सराफ (उप-अंकेक्षक), द्वारा दिनांक 01.10.2026 को समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेगे, दिनांक 03.10.2026 को समय दोपहर 12.00 बजे से नियोजन पत्रों की जांच की जाएगी एवं दिनांक 04.10.2026 समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्रो की वापसी, उसके तत्पश्चात उम्मीदवारों की सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन, कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल), जिला भोपाल पर किया जावेगा। विशेष साधारण सभा की सूचना के साथ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम सदस्यों को पृथक से डाक द्वारा भेजा गया है।

अध्यक्ष
प्रशासक सरला पैराडाईज रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

1763

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई. डी. नं. 0600080114,आवेदन क्रमांक-9072, आवेदन दिनांक-18/09/2025
क्रमांक 2351/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांकः 08/09/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की कोहेफिजा योजना स्थित भवन क्रमांक-114 सेक्टर-सी, श्री सुनील कुमार गुप्ता आ. श्री कृष्ण प्रसाद गुप्ता के नाम पर अंकित है। आवंटी श्री सुनील कुमार गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 10/05/2025 को हो जाने के कारण स्व. श्री सुनील कुमार गुप्ता के वारिसगण जिनमें पत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता, श्री हर्ष गुप्ता एवं पुत्री साक्षी अंकित अग्रवाल पुत्र/पुत्री स्व. श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त भवन क्रमांक-114 सेक्टर-सी का नामान्तंरण अपने संयुक्त नाम पर चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे । उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

1762

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई. डी. नं. 8200000555,आवेदन क्रमांक-13129, आवेदन दिनांक-02/09/2026
क्रमांक 2368/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांकः 23/09/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना में स्थित भूखण्ड क्रमांक 555 श्रीमती संध्या ढाली आत्मज/पति स्व.श्री बी.पी.ढाली के नाम पर आवंटित है। आवंटी श्रीमती संध्या ढाली ने अपना मुख्तारआम श्री सत्येन्द्र महावर को नियुक्त किया है। मुख्तारआम श्री सत्येंन्द्र महावर के द्वारा उक्त भूखण्ड क्र 555 को विक्रय दिनांक 29/03/2012 को श्रीमती उमा महावर पत्नी श्री सत्येन्द्र महावर के नाम पर पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत कर दी गई है। अब श्रीमती उमा महावर के द्वारा अपने नाम पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

1761

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
प्रथम तल, पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल
दूरभाष क्रमांक : 8435290621, 2673141, 2673142 (For online help)

ई-निविदा सूचना क्रमांक 02-एस/2026-27

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सिस्टम के माध्यम से निम्नलिखित उत्पाद हेतु दर अनुबंध आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती हैं :-

S. No.	Tender No.	Name of Service	EMD/PG	Last Date of Bid Submission
1.	26002-S	Engagement of Outsource Agency to provide manpower to MP Laghu Udyog Nigam Ltd.	5,00,000/-	14.10.2026

नोट :- निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता, पूर्ण निविदा दस्तावेज, निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा शर्तें आदि की जानकारी mptendering पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए उक्त पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।

म.प्र. माध्यम/128234/2026 **प्रबंध संचालक**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक-1, राज. परि. प्रशा., लो.नि.वि., ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक-61/वलेलि/2026 **भोपाल, दिनांक 18.09.2026**

अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से संस्था संचालको/व्यक्तियो से निम्नांकित स्थल आरक्षण हेतु मोहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यालय में निविदाएं पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। विभाग पोस्टल विलंब के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

स. क्र.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र की राशि (रू.)	अमानत राशि (रू.)	कोरे निविदा प्रपत्र विक्रय का अंतिम दिनांक एवं समय	1) निविदा प्राप्ती का दिनांक 2) कार्यालय	1) निविदा खोलने का समय दिनांक/समय 2) कार्यालय	आरक्षण अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विट्ठल मार्केट, भोपाल स्थित दशहरा मैदान में आतिशबाजी (फटाका) बाजार का आयोजन बावत् आरक्षण	रू. 2000/-	1) रू. 20,000/- (रू. बीस हजार) मात्र	29.09.26 का सायं 5.30 बजे तक	30.09.26 को सायं 5.30 बजे तक 2) कार्या. कार्यापालन यंत्री निर्माण संभाग क्र.-1, राज,परि, प्रशा., लो.नि.वि. भोपाल	01.10.2026 प्रातः 11.00 2) कार्या. कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्र-1 राज. परि. प्रशा. लो.नि.वि. भोपाल	दिनांक 05.11.26 से 08.11.26 एवं दिनांक 20.11.26 (05 दिन)

टीप: 1. कोरे निविदा प्रपत्र निर्धारित राशि के भुगतान कर कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग कमांक 1, कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते है। उक्त राशि वापिसी योग्य नहीं है।
2. निविदा की वैद्यता खोले जाने की दिनांक से 30 दिन तक की होगी ।
3. यदि निविदा प्राप्त होने/खोलने का दिवस शासकीय अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस में कार्यवाही संपादित की जावेगी ।
4. निविदा प्रपत्र क्रय के लिये निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि निर्धारित दस्तावेज संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निविदा प्रपत्र उन्हें नहीं दिया जावेगा
(1) संस्था का जी.एस.टी. नं. पैन कार्ड एव गुमास्ता प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
निविदा का विस्तृत विवरण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक-1, राज. परि. प्रशा. लो.नि.वि. भोपाल के कार्यालय में कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री,
निर्माण संभाग क्रमांक-1,
राज. परि. प्रशा., लो.नि.वि., भोपाल
दूरभाष 07552464382

जी-19020/26